CMYK-printech

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग

CSERC

छत्तीसगढ़ राज्य
विद्युत नियामक आयोग

वार्षिक प्रतिवेदन

वर्ष - 2010

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2010

विषय-सूची

खण्ड क्र.	शीर्षक		पृष्ठ क्र.
1.	प्रस्तावना	:	1–3
2.	मानव संसाधन एवं उनका विकास	:	4–10
3.	आयोग के कृत्य, कार्यवाहियाँ, शक्तियाँ एवं उसकी कार्यप्रणाली	:	11–14
4.	राज्य सलाहकार समिति	:	15–16
5.	वर्ष 2010 में आयोग द्वारा किये गये विभिन्न कार्यों का विवरण	:	17–22
6.	आयोग का वित्त एवं लेखा विवरण वर्ष 2009–10	:	23–24
	परिशिष्ट		
	वित्तीय वर्ष 2009–10 का संपरीक्षित वार्षिक लेखा विवरण, लेखा संपरीक्षा प्रमाण पत्र तथा प्रतिवेदन	:	25–40

खण्ड–1
प्रस्तावना

1.1 उद्देश्यिका (मिशन स्टेटमेंट) –

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, का गठन छत्तीसगढ़ शासन द्वारा इलेक्ट्रीसिटी रेगुलेटरी कमीशंस एक्ट 1998 एवं विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 82 के अनुसरण में किया गया है। आयोग उक्त अधिनियम तथा राष्ट्रीय विद्युत नीति एवं टैरिफ नीति में प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुसार कार्य सम्पादित करता है। आयोग का ध्येय यह सुनिश्चित करना है कि विद्युत, जो कि विकास का एक अति महत्वपूर्ण घटक है, का प्रदाय वाणिज्यिक नीति पर आधारित होते हुए भी, ऐसे मूल्य पर उपलब्ध हो जो जन–साधारण की पहुँच में हो। आयोग राज्य में विद्युत के क्षेत्र में सुधार हेतु ऐसे दिशा–निर्देश एवं सुविधाएँ उपलब्ध कराने हेतु क्रियाशील है जिनसे दक्षता, मितव्ययिता, प्रतिस्पर्धा का संवर्धन हो एवं उपभोक्ता को संतुष्टि प्राप्त हो। अपने कार्य को संपन्न करने हेतु आयोग, इस विषय से संबंधित समस्त व्यक्तियों विशेषतः उपभोक्ताओं की भागीदारी प्राप्त करने के प्रति सदा–सर्वदा सजग है। आयोग, राज्य में ऐसे विनियमित परिवेश की स्थापना करने हेतु प्रयत्नशील है जिससे प्रदेश में विद्यमान ताप–विद्युत एवं जल–विद्युत तथा विद्युत के नवीन तथा अक्षय ऊर्जा स्त्रोतों की प्रचुर संभावनाओं का समुचित दोहन करने के लिए पर्याप्त पूंजी निवेश को प्रोत्साहन मिले तथा साथ ही साथ पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव भी न हो।

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 86 में आयोग को सौंपे गये विभिन्न कार्यो का निर्वहन करने के अनुक्रम में वर्ष 2010 में भी आयोग द्वारा कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर विनियम बनाए गए तथा याचिकाओं का निराकरण किया गया। प्रतिवेदित वर्ष (2010) में आयोग द्वारा किये गए उपरोक्त कार्यों तथा अन्य कार्यों का संक्षिप्त वर्णन प्रतिवेदन में किया गया है।

विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 105 के साथ सहपठित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (वार्षिक प्रतिवेदन) नियम 2005 के प्रावधानों के अधीन प्रत्येक कलेण्डर वर्ष में आयोग की गतिविधियों का विवरण आगामी वर्ष में आयोग द्वारा तैयार कर राज्य शासन को प्रेषित किया जाता है। विद्युत अधिनियम की धारा 104(4) के अनुसार, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा संपरीक्षित वार्षिक लेखे एवं लेखा संपरीक्षा प्रतिवेदन भी आयोग द्वारा राज्य शासन को प्रेषित किया जाता है। उक्त दोनों प्रतिवेदन तथा संपरीक्षित वार्षिक लेखे राज्य शासन द्वारा विधान–सभा के पटल पर रखे जाते हैं। इस प्रतिवेदन में आयोग का वर्ष 2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2009–10 के संपरीक्षित वार्षिक लेखे तथा संपरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत हैं।

1.2 आयोग की स्थापना

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग का गठन छत्तीसगढ़ शासन द्वारा इलेक्ट्रीसिटी रेगुलेटरी कमीशंस एक्ट 1998 एवं विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 82 में निहित प्रावधानों के अधीन अधिसूचना क्रमाँक 3190/S/E/2002/ दिनाँक 23/08/2002 सहपठित अधिसूचना क्रमाँक 432/R/352 दिनाँक 11/05/2004 के द्वारा किया गया। राज्य शासन के आदेश क्रमांक F-1/38/2004/13/1 दिनाँक 10/06/2004 के द्वारा आयोग में श्री एस. के. मिश्र, अध्यक्ष तथा श्री शरत चंद्र, सदस्य के पदों पर नियुक्त किये गये। अधिनियम के अनुसार आयोग के अध्यक्ष आयोग के मुख्य कार्यपालक होते हैं। आयोग में नियुक्ति के पूर्व श्री एस.के. मिश्र, भारतीय प्रशासनिक सेवा (सेवानिवृत्त), छत्तीसगढ़ शासन के मुख्य सचिव के पद पर सेवारत थे तथा श्री शरत चंद्र छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल में सचिव तथा सदस्य (पारेषण एवं वितरण) के पद पर लगभग सवा दो साल सेवाएँ देकर सेवानिवृत्त हुए थे। अध्यक्ष एवं सदस्य द्वारा दिनाँक 01 जुलाई, 2004 को पद व गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के पश्चात् आयोग में अपना पद भार संभाला गया। श्री एस.के. मिश्र, अध्यक्ष दिनांक 30/06/2009 को आयोग में अपना कार्यकाल पूर्ण कर कार्यमुक्त हुये। राज्य शासन के अधिसूचना क्रमांक एफ–1–7/13/1/2007, रायपुर, दिनांक 29/06/2009 के द्वारा आयोग के अध्यक्ष के पद पर श्री मनोज डे की नियुक्ति की गई। श्री शरद चंद्र, सदस्य दिनांक 22/03/2008 को आयोग में अपना कार्यकाल पूर्ण कर कार्यमुक्त हुये। राज्य शासन के अधिसूचना क्रमांक एफ–1–7/13/1/2007, रायपुर, दिनांक 19/03/2008 के द्वारा आयोग के सदस्य के पद पर श्री बी.के. शर्मा की नियुक्ति की गई। आयोग के वर्तमान अध्यक्ष एवं सदस्य का संक्षिप्त परिचय निम्नानुसार हैः–

श्री मनोज डे (अध्यक्ष)

श्री मनोज डे द्वारा शासकीय अभियांत्रिकीय महाविद्यालय, रायपुर से वर्ष 1970 में विद्युत अभियांत्रिकी में स्नातक की उपाधि प्राप्त की गई। आपने मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल में अप्रैल 1971 से विभिन्न पदों पर अपनी सेवाएँ प्रदान की तथा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल में मुख्य अभियंता, सचिव एवं सदस्य के पद तक पहुँचे। श्री डे छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल से सदस्य (पारेषण एवं वितरण) के पद से दिसम्बर 2007 में सेवानिवृत्त हुए, इस अवधि में कार्यो की गुणवत्ता के उन्नयन, अधिकतम श्रमशक्ति का सदुपयोग, विद्युत क्षमता वृद्धि एवं कार्यों में पारदर्शिता का आपके द्वारा समुचित ध्यान रखा गया। प्रशासनिक अनुभव के अतिरिक्त आप समस्त छत्तीसगढ़ के भौगोलिक क्षेत्र व विद्युत नेटवर्क के ज्ञाता है। विद्युत मण्डल में विद्युत देयकों SAP sowtware प्रणाली द्वारा process किया जाना, सम्पूर्ण consumer database SAP प्रणाली में Store किया जाना, विद्युत देयक का भुगतान debit card तथा online

payment किया जाना, Consumer indexing तथा Hand hold device द्वारा मीटर रिडिंग (धमतरी शहरी क्षेत्र) में लिया जाने का प्रारंभ श्री मनोज डे के प्रयासों से संभव हुआ। मण्डल में सदस्य के रूप में 1018 करोड़ की राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना को अपने अन्तिम चरण में पहुंचाया। श्री डे इन्स्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (इंडिया) के सदस्य हैं, वर्ष 2009 में उन्हें उत्कृष्ट सेवाओं के लिए "इंजीनियर ऑफ द ईयर" का सम्मान प्राप्त हुआ है। 1 जुलाई 2009 से श्री मनोज डे छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त हैं।

श्री बी.के. शर्मा (सदस्य)

श्री बी.के. शर्मा द्वारा शासकीय अभियांत्रिकीय महाविद्यालय, रायपुर से वर्ष 1968 में विद्युत अभियांत्रिकी में स्नातक की उपाधि प्राप्त की गई। आपकी प्रथम नियुक्ति मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल में सहायक अभियंता के पद पर हुई। आपने म.प्र. विद्युत मण्डल में विभिन्न पदों पर अपनी सेवाएँ प्रदान की तथा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल में मुख्य अभियंता व सदस्य सचिव के पद तक पहुँचे। श्री शर्मा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल से सदस्य (पारेषण एवं वितरण) के पद से वर्ष 2005 में सेवानिवृत्त हुए। आपने अपने कार्यकाल में छत्तीसगढ़ में विद्युत के पारेषण व वितरण प्रणाली का मास्टर प्लान बना कर क्रियान्वयन किया तथा छ.ग. विद्युत मंडल को नये आयाम तक पहुँचाया। छत्तीसगढ़ के ग्राम्यांचलो से सुपरिचित श्री बी.के. शर्मा का योगदान ग्रामीण विद्युतीकरण एवं सार्थक प्रयासों के लिए एक संवेदनशील अभिंयता के रूप में जाना जाता है। श्री शर्मा, इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (इंडिया) की छत्तीसगढ़ राज्य इकाई के अध्यक्ष पद पर दो वर्षो तक पदस्थ रहे। श्री बी.के. शर्मा 24 मार्च 2008 से छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के सदस्य के पद पर नियुक्त हैं।

1.3 आयोग का कार्य स्थल

छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग के पत्र क्रमांक एफ–4–146/सात–1/06 दिनाँक 13.11.06 के द्वारा आयोग को शांति नगर रायपुर खास प.ह.नं. 106 अ स्थित भूमि खसरा नं. 527 में से 60X40=2400 वर्गमीटर भूमि कार्यालय भवन निर्माण हेतु प्रदान की गई है। आयोग द्वारा कार्यालय भवन का निर्माण छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के माध्यम से करवाया गया है। भवन के निर्माण में ग्रीन बिल्डिंग टेक्नालजी के सिद्धांत को अपनाया गया है। प्रदेश में यह अपने प्रकार का ऐसा पहला भवन है। भवन में क्रेडा के माध्यम से 80 किलोवॉट क्षमता के सौर–ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की गई है। इससे उत्पादित विद्युत, कार्यालयीन उपयोग के पश्चात अतिरिक्त विद्युत ग्रिड में डाली जाती है।

—000—

खण्ड–2
मानव संसाधन एवं उनका विकास

2.1 आयोग का संगठनात्मक चार्ट :–

विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 91 के अंतर्गत राज्य शासन से स्वीकृति प्राप्त कर आयोग के कार्य को सुचारू रूप से संचालित करने के उद्देश्य से आयोग में विभिन्न पदों का सृजन किया गया। राज्य शासन के आदेश क्रमांक एफ 10–3/2004/13/1 दिनांक 28.05.2010 द्वारा आयोग हेतु नये स्वीकृत पदों की संख्या सम्मिलित कर वर्तमान संगठनात्मक विवरण निम्नानुसार है :

स. क्र.	स्वीकृत पदों का नाम	स्वीकृत पद संख्या	वेतनमान	ग्रेड–पे	भरे हुए पद की संख्या	रिक्त पद की संख्या
	आयोग सचिवालय					
1.	सचिव	1	37400–67000	10000	01	–
2.	उप सचिव	1	15600–39100	7600	01	–
3.	उप निदेशक (उपभोक्ता पक्ष समर्थन प्रकोष्ठ)	1	15600–39100	6600	–	01
4.	सहायक संचालक (सूचना प्रौद्योगिकि एवं नियामक सूचना प्रबंधन प्रणाली)	1	15600–39100	5400	–	01
5.	विभाग अधिकारी	1	9300–34800	4400	–	01
	तकनीकी विभाग					
6.	निदेशक	1	37400–67000	10000	01	
7.	संयुक्त निदेशक	1	15600–39100	7600	01	
8.	उप निदेशक	2	15600–39100	6600	01	01
9.	सहायक संचालक	2	15600–39100	5400		01
	टैरिफ विभाग					
10.	निदेशक	1	37400–67000	10000	01	
11.	संयुक्त निदेशक	1	15600–39100	7600	01	
12.	उप निदेशक	1	15600–39100	6600	01	
13.	सहायक संचालक	1	15600–39100	5400		01
	वित्त विभाग					
14.	अर्थप्रबंध सलाहकार	1	37400–67000	8700		01
15.	वित्तीय सलाहकार	1	15600–39100	7600	01	
	विधि विभाग					
16.	निदेशक	1	37400–67000	10000		01

17.	वरिष्ठ विधि अधिकारी	1	15600–39100	7600		01
18.	विधि अधिकारी	1	15600–39100	6600	01	
	प्रशासकीय विभाग					
19.	सहायक संचालक (लेखा)	1	15600–39100	5400	01	
20.	निज सचिव	2	9300–34800	4400	01	01
21.	निज सहायक	5	9300–34800	4300	01	04
22.	सहायक कम्प्यूटर प्रोग्रामर	1	9300–34800	4300		01
23.	कनिष्ठ लेखाधिकारी	1	9300–34800	4200	01	
24.	स्टेनोग्रफर	5	5200–20200	2800	02	03
25.	कम्प्यूटर सहायक	3	5200–20200	2400	02	01
26.	सहायक ग्रेड–2	3	5200–20200	2400	02	01
27.	स्टेनो टायपिस्ट	4	5200–20200	1900	03	01
28.	सहायक ग्रेड–3	5	5200–20200	1900	–	05
29.	वाहन चालक	4	5200–20200	1900	04	–
30.	भृत्य	11	4440–7440	1300	09	03
31	माली	1	4440–7440	1300		01
	योग	**66**				

31.12.2010 तक की स्थिति में पदों की स्थिति ।

31.12.2010 की स्थिति में सचिव के अतिरिक्त कार्य दायित्व का निर्वहन निदेशक (तकनीकी) द्वारा किया जा रहा है ।

2.2 आयोग में वर्ष 2010 में सेवारत् अधिकारी

सृजित पदों को भरने के उद्देश्य से आयोग में अधिकारियों व कर्मचारियों की नियुक्ति सीधी भर्ती, प्रतिनियुक्ति तथा संविदा नियुक्ति द्वारा की गई। वर्ष 2010 में आयोग में निम्नलिखित अधिकारी सेवारत रहे :–

क्रमाँक	नाम	पद	पदभार ग्रहण करने का दिनाँक
1.	श्री एन. के. रूपवानी	निदेशक (तकनीकी), सचिव का अतिरिक्त प्रभार 10.10.2005 से	04.10.2005
2.	श्री डी.पी. शर्मा	निदेशक (टैरिफ)	05.07.2010
3.	श्री जी.एस. वर्मा	उप सचिव	11.10.2007 से 06.12.2010 तक
4.	श्री आर.एन. साहू	संयुक्त निदेशक (टैरिफ)	27.10.2010
5.	श्री एस.पी. शुक्ला	संयुक्त निदेशक (तकनीकी)	29.10.2009 से, उससे पूर्व उप निदेशक के पद पर कार्यरत्
6.	श्री व्ही.के. अग्रवाल	संयुक्त निदेशक	03.10.2008 से 04.10.2010 तक
7.	श्री सुरोबिन राय	वित्तीय विश्लेषक	06.10.2009
8.	श्री विवेक गनोदवाले	विधि अधिकारी	10.12.2004
9.	श्री कमलेश दिल्लीवार	उप निदेशक (तकनीकी)	11.08.2010
10.	श्री सुरेन्द्र सिंह	उप निदेशक (टैरिफ)	11.08.2010
11.	श्री एम.ए. मुस्तफा	सहायक निदेशक (लेखा)	30.10.2010 से, उससे पूर्व कनिष्ठ लेखा अधिकारी के पद पर कार्यरत्

1. **श्री एन.के. रूपवानी, निदेशक (तकनीकी)** :– मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बी.ई. (ऑनर्स) की उपाधि प्राप्त करने के बाद, मझगांव डॉक्स लिमिटेड, बॉम्बे एवं शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में कनिष्ठ अभियंता के रूप में लगभग दो वर्ष कार्य करने के उपरान्त 07/03/1974 को मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल में सहायक अभियंता के रूप में अपनी सेवा आरंभ की। मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल में सहायक अभियंता, कार्यपालन

अभियंता, उप सचिव, अतिरिक्त सचिव और मुख्य अभियंता जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रहकर आपने योजना–कार्य, संचालन एवं संधारण और निर्माण कार्यों को नई दिशाएं दी हैं। मंडल के समस्त थर्मल पावर स्टेशन्स के लिए क्षमता आंकलन जैसा महत्वपूर्ण कार्य आपने संपन्न किया था। चौदह वर्षों से लंबित 850 के.व्ही. मिनी हाइडल पावर स्टेशन कोरबा (पश्चिम) को प्रारंभ करना और कोरबा पश्चिम एवं कोरबा पूर्व थर्मल पावर प्रोजेक्ट के लिए पर्यावरण स्वीकृति जैसे कार्य आपके द्वारा संपन्न कराये गये। विद्युत मण्डल द्वारा कर्मचारियों की समस्याओं का सकारात्मक हल, वेतन–निर्धारण आदि कार्यों में दक्षता के लिए 15 अगस्त 1996 में आपको उत्कृष्ठ कार्यों के लिए सम्मानित किया गया।

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग में आप 10 अक्टूबर 2005 से सचिव का अतिरिक्त प्रभार वहन कर रहे हैं।

2. **श्री डी.पी. शर्मा, निदेशक (टैरिफ)**:– शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, बिलासपुर से बी. ई. (इलेक्ट्रीकल) की उपाधि प्राप्त करने के उपरांत श्री शर्मा मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल में स्नातक प्रशिक्षु के रूप में अपनी सेवा आरंभ की, लगभग 35 वर्षों में विभाग की प्रशासनिक सीढ़ियों पर क्रमशः चढ़ते हुए 2004 में मुख्य अभियंता के पद पर आसीन हुए। आपने इस पद पर रहते हुए प्रशिक्षण, पारेषण और वाणिज्य विभाग को नई दिशाएं दी हैं। जुलाई 2008 में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल से सेवानिवृत्त होने के पश्चात् हैदराबाद में प्रतिष्ठित कम्पनी में तकनीकी सलाहकार के रूप में अपनी सेवायें देने के बाद दिनांक 05.07.2010 से आयोग में निदेशक (टैरिफ) के पद पर कार्यरत् हैं।

3. **श्री जी.एस. वर्मा, उप सचिव** :– बी.ई. (सिविल), एम.आई.ई. (इंडिया), एल एल. बी., एम.ए. (लोक प्रशासन), बेचलर ऑफ जर्नलिजम एण्ड मास कम्यूनिकेशन। मध्यप्रदेश जल संसाधन विभाग में 1969 से 2001 तक विभिन्न पदों पर कार्य करने के उपरान्त 2001 में छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग में विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, अवर सचिव एवं हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (कुल–सचिव) के रूप में कार्य करने के उपरान्त सितंबर, 2007 में छ.ग. प्रशासन अकादमी से कार्यपालन अभियंता के पद से सेवानिवृत्त। श्री वर्मा इंडियन वाटर रिसोर्सेस सोसायटी (रूड़की विश्वविद्यालय) के सदस्य, वर्ष 1991 से अभियांत्रिकीय महाविद्यालय के लिए बाह्य परीक्षक तथा छत्तीसगढ़ राज्य प्रशासन अकादमी में गेस्ट फेकल्टी हैं। श्री जी.एस. वर्मा अक्टूबर, 2007 से छ.ग. राज्य विद्युत नियामक आयोग में उपसचिव के रूप में संविदा पर कार्यरत् थे एवं दिनांक 06.12.2010 को अपने पद से त्यागपत्र देकर आयोग से कार्यमुक्त हुए।

4. **श्री एस.पी. शुक्ला, संयुक्त निदेशक (तकनीकी)** :– शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, रायपुर से बी. ई. (मेकेनिकल) की उपाधि प्राप्त करने के उपरांत श्री शुक्ला ने 11 वर्षों तक विद्युत संयंत्रों में कमीशनिंग, प्रचालन, अनुरक्षण, ताप–विद्युत संयंत्रों का नवीनीकरण व आधुनिकीकरण का कमीशनिंग प्रबंधक के पद पर कार्य किया। दिनांक 21/10/2004 से आयोग में उप निदेशक (तकनीकी) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात दिनांक 29/10/2009 को संयुक्त निदेशक के पद पर पदोन्नत हुए।

5. **श्री व्ही.के. अग्रवाल, संयुक्त निदेशक (टैरिफ)** :– बी.ई (विद्युत अभिंयात्रिकी) तथा 1988 में इग्नू से मानव संशाधन प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा की परीक्षा तथा वर्ष 2004 में ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफीसिएंसी, नई दिल्ली (भारत सरकार) द्वारा आयोजित प्रथम परीक्षा में उत्तीर्ण होकर ऊर्जा अंकेक्षक व ऊर्जा प्रबंधक का प्रमाण पत्र प्राप्त किया। श्री व्ही.के. अग्रवाल, कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल दिनांक 01/10/2008 से आयोग में प्रतिनियुक्ति पर संयुक्त निदेशक के पद पर कार्यरत् रहे, तथा दिनांक 04. 10.2010 को आयोग में अपनी प्रतिनियुक्ति अवधि पूर्ण करने के पश्चात् श्री व्ही.के. अग्रवाल अब छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी में कार्यरत् हैं।

6. **श्री आर.एन. साहू, संयुक्त निदेशक (टैरिफ)**:– शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, रायपुर से वर्ष 1972 में बी.ई. (विद्युत अभियांत्रिकी) की उपाधि प्राप्त करने के उपरांत श्री साहू मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल एवं छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल में विभिन्न पदों पर कार्य करते हुए वर्ष 2006 में अधीक्षण यंत्री (संचालन एवं संधारण) के पद से सेवानिवृत्त हुए। दिनांक 27.10.2010 से आयोग में संयुक्त निदेशक (टैरिफ) के पद पर कार्यरत् हैं। वर्तमान में अपने उक्त पद के अतिरिक्त उप सचिव का प्रभार भी वहन कर रहे हैं।

7. **श्री सुरोबीन राय, वित्तीय विश्लेषक**– बी.एस.सी. (गणित), एफ.आई.सी.डब्लु.ए., लागत लेखांकन एवं प्रबंधन, लेखांकन, बजट, लेखा–संपरीक्षण, वित्त एवं कोषालय प्रबंधन, करारोपण, वित्तीय विश्लेषण के क्षेत्र में आयोग की सेवा में आने के पूर्व 18 वर्ष का अनुभव है। श्री राय आयोग में वित्तीय विश्लेषक के रूप में दिनांक 06.10. 2009 से कार्यरत् है।

8. **श्री विवेक गनोदवाले, विधि अधिकारी** :– बी. कॉम, एल.एल.बी.। मई 1988 से मुख्यतः जिला न्यायालय रायपुर में सफल अभिभाषक रहे। छत्तीसगढ़ शासन के श्रम तथा औद्योगिक न्यायालयों हेतु गठित व रायपुर विकास प्राधिकरण के अधिवक्ताओं कें पेनल में रह चुके हैं। दिनांक 10/12/2004 से आयोग में विधि अधिकारी के पद पर कार्यरत् हैं।

9. **श्री सुरेन्द्र सिंह, उप निदेशक (टैरिफ)** :– शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, रायपुर से बी.ई. (इलेक्ट्रीकल) की उपाधि प्राप्त करने के पश्चात लगभग 1 वर्ष आटोमोबाईल उद्योग तथा लगभग 12 वर्ष तक जल विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में कार्य किया। वर्तमान में अगस्त 2010 से आयोग में उप निदेशक (टैरिफ) के पद पर कार्यरत् हैं।

10. **श्री कमलेश दिल्लीवार, उप निदेशक (तकनीकी)** :– 1995 में मेकेनिकल इंजीनियरिंग की उपाधि प्राप्त करने के उपरांत पॉवर प्लांट एवं कंसलटेंसी संस्थाओं में लगभग 3 वर्ष कार्य करने के बाद सन् 2000 में ऊर्जा प्रबंधन में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की। श्री दिल्लीवार ने सन् 2000 से लगातार पॉवर सेक्टर में अलग–अलग कसंलटेंसी संस्थाओं में विभिन्न पदों पर कार्य करने के बाद अगस्त 2010 में छ.ग. राज्य विद्युत नियामक आयोग में उपनिदेशक (तकनीकी) के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। उर्जा क्षेत्र में विभिन्न कंसलटेंसी संगठनो में रहते हुए उन्होंने विदेशों में भी (middle east, far east, African countries) अपनी सेवाएं दी। पिछले दस वर्षों में उन्होने विद्युत अधिनियम 2003 एवं ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 में सक्रिय रूप से कार्य करते हुए विभिन्न ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, विद्युत बोर्ड, कंपनी एवं विभिन्न राज्यों के नियामक आयोग, निजी श्रेत्र के उद्योगों, निजी पॉवर प्लांट में कंसलटेंसी प्रदान की। सन् 2003 में महाराष्ट्र शासन के ऊर्जा विभाग द्वारा महाराष्ट्र राज्य में ऊर्जा संरक्षण में उल्लेखनीय योगदान हेतु श्री दिल्लीवार के नेतृत्व में इनकी नियोक्ता कंपनी को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। श्री दिल्लीवार द्वारा BEE (MoP) से Certified Energy Auditor and Manager का प्रमाण पत्र भी 2004 में प्राप्त किया गया है।

2.3 आयोग के अधिकारियों की कार्यकुशलता के विकास हेतु प्रशिक्षण/ कार्यशाला/संगोष्ठि /सम्मेलन कार्यक्रमः–

विगत वर्षों की भांति वर्ष 2010 में भी आयोग द्वारा अपने अधिकारियों को राष्ट्रीय स्तर की प्रतिष्ठित संस्थानों में विद्युत क्षेत्र के विभिन्न पहलुओं, तथा टैरिफ के विषयों पर प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजा जिससे उनकी कार्यकुशलता में आधुनिकतम–आवश्यकतानुरूप अभिवृद्वि हो सके ।

क्र.	अधिकारी का नाम	प्रशिक्षण कार्यक्रम का नाम/विषय	प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने वाली संस्था का नाम व स्थान	अवधि
1.	श्री कमलेश दिल्लीवार, उप निदेशक (तकनीकी)	केपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम,	फोरम ऑफ रेग्युलेटर्स, आई.आई.टी., कानपुर	6 दिन (23.08.2010 से 28.08.2010)
2.	श्री डी.पी. शर्मा, निदेशक (टैरिफ)	केपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम,	फोरम ऑफ रेग्युलेटर्स, आई.आई.टी., कानपुर	6 दिन (23.08.2010 से 28.08.2010)
3.	श्री एम.के. श्रोती, विद्युत लोकपाल	प्रोटेक्शन ऑफ कंज्युमर इन्ट्रेस्ट	नेशनल पॉवर ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट, फोरम ऑफ रेग्युलेटर्स, नई दिल्ली	2 दिन (24–25 नवम्बर 2010)

4.	श्री विवेक गनोदवाले, विधि अधिकारी	लीगल आसपेक्ट ऑफ पॉवर सेक्टर रेग्युलेशन	नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इण्डियन युनिवर्सिटी, फोरम ऑफ रेग्युलेटर्स	4 दिन (28.06.2010 से 01.07.2010)
5.	श्री सुरोबिन रॉय, वित्तीय विश्लेषक	इन्टरनेशनल फिनेनसीयल रिर्पोटिंग स्टेन्डर्ड	फोरम ऑफ रेग्युलेटर्स, नई दिल्ली	3दिन (05.08.2010 से 07.08.2010)
6.	श्री मनोज डे, अध्यक्ष	ओरियंटेशन कार्यक्रम	फोरम ऑफ रेग्युलेटर्स एवं इंडियन इन्सटीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, अहमदाबाद	7 दिन (03.06.2010 से 09.06.2010)
7.	श्री बी.के. शर्मा, सदस्य	ओरियंटेशन कार्यक्रम	फोरम ऑफ रेग्युलेटर्स एवं इंडियन इन्सटीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, अहमदाबाद	7 दिन (03.06.2010 से 09.06.2010)
8.	श्री एन.के. रूपवानी, सचिव	रिन्यूवेबल ऐनर्जी सर्टिफिकेट फ्रेमवर्क	फोरम ऑफ रेग्युलेटर्स, नई दिल्ली	1 दिन (09.04.2010)
9.	श्री बी.के. शर्मा, सदस्य	R-APDRP	इन्डिया इन्फ्रस्ट्रचर पब्लिशिंग प्रा.लि., नई दिल्ली	2 दिन (15.07.2010 से 16.07.2010)
10.	श्री एन.के. रूपवानी, सचिव	कोर कोर्स ऑन इन्फ्रस्ट्रक्चर रेगुलेशन एण्ड रिफोर्म	साऊथ एशिया फोरम फोर इन्फ्रस्ट्रक्चर रेगुलेशन एवं इंडियन इन्सटीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, बैंगलोर	5दिन (26.04.2010 से 30.04.2010)

आयोग के सहयोग से आयोजित सेमिनार

इन्डिपेन्डेन्ट पॉवर प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन ऑफ इन्डिया द्वारा दिनांक 08.12.2010 को "उच्च–मूल्यों एवं ऊर्जा की अधोसंरचना के संरक्षण की चुनौतियां" विषय पर आयोजित सेमिनार को आयोग ने गैर वित्तीय सहयोग प्रदान किया था।

खण्ड–3
आयोग के कृत्य, कार्यवाहियां, शक्तियां एवं उसकी कार्यप्रणाली

3.1 **आयोग के कृत्य** – विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 86 में निहित प्रावधानों के अनुसार, आयोग निम्नलिखित कृत्यों का निर्वहन करता है :–

(i) राज्य के भीतर विद्युत के उत्पादन, पारेषण और Wheeling (व्हीलिंग) थोक या फुटकर आपूर्ति के लिये टैरिफ का निर्धारण।

(ii) वितरण लायसेंसी द्वारा राज्य में प्रदाय के लिये जिस दर से विद्युत का क्रय किसी उत्पादक कंपनी, लायसेंसधारी विद्युत ट्रेडर, अथवा अन्य स्त्रोतों से किया जाना है, उस प्रक्रिया का एवं दर का विनियमन करना।

(iii) राज्य के भीतर विद्युत के पारेषण तथा व्हीलिंग सुगम बनाने के लिये आवश्यक उपाय करना ।

(iv) राज्य में पारेषण, वितरण और विद्युत व्यापार (ट्रेडिंग) के लिये लाइसेन्स प्रदाय करना।

(v) नवीनीकरण ऊर्जा के स्त्रोतों से ग्रिड से संयोजन के लिये उपयुक्त उपाय करना, विद्युत के सह–उत्पादन तथा उत्पादन को प्रोत्साहन देना तथा वितरण लायसेन्सी के क्षेत्र में विद्युत की कुल खपत के प्रतिशत, ऐसे स्त्रोतों से विद्युत की खरीद के लिए भी विनिर्दिष्ट करना ।

(vi) लायसेन्सियों और उत्पादन कम्पनियों के बीच विवादों का निपटारा करना और माध्यस्थम (arbitration) के लिये किसी विवाद को Refer (निर्दिष्ट) करना।

(vii) धारा 79 के अधीन विनिर्दिष्ट केन्द्रीय ग्रिड कोड से सुसंगत (consistent) राज्य ग्रिड कोड का बनाना।

(viii) लायसेन्सी के द्वारा सेवा की गुणवत्ता, निरन्तरता और विश्वसनीयता के बारे में मानकों (standards) का निर्धारण करना तथा प्रभावशील करना ।

(ix) यदि आवश्यक समझा जाए तो राज्य के भीतर विद्युत के व्यापार में ट्रेडिंग मार्जिन तय करना ।

(x) अधिनियम के अधीन ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करना जो आयोग को सौंपे जाए।

(2) आयोग राज्य सरकार को निम्नलिखित मामलों पर परामर्श दे सकता है:–

(i) विद्युत उद्योग में प्रतिस्पर्धा, दक्षता, और मितव्ययिता को प्रोत्साहन देना;

(ii) विद्युत उद्योग में पूँजी निवेश को प्रोत्साहन देना;

(iii) राज्य में विद्युत मण्डल का पुनर्गठन और पुनः संरचना एवं

(iv) विद्युत उत्पादन, पारेषण वितरण और व्यापार सम्बन्धी मामले या कोई अन्य मामला जो शासन द्वारा राज्य आयोग को सौंपा गया हो ।

अधिनियम में आयोग को अपनी शक्तियों के प्रयोग में तथा कार्य के निर्वहन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने का निर्देश है।

आयोग अपने कार्य के निर्वहन में राष्ट्रीय विद्युत नीति, और विद्युत अधिनियम की धारा 3 के अधीन प्रकाशित टैरिफ नीति से मार्गदर्शन लेता है।

3.2 आयोग की कार्यप्रणाली

अधिनियम में यह अपेक्षा की गई है कि आयोग अपने कार्य निष्पादन में पूर्ण पारदर्शिता बरतेगा एवं इसमें उपभोक्ताओं से अधिकाधिक सहयोग प्राप्त करेगा। आयोग की कार्यप्रणाली न्यायिक कार्यप्रणाली के तुल्य है। आयोग को अपने कार्य के निष्पादन करने के संबंध में विनियम बनाने का अधिकार है। उपरोक्त अधिकार का प्रयोग करते हुए आयोग द्वारा "कार्य संचालन विनियम, 2004 "बनाया गया था, जिसे पुर्नरीक्षित कर "कार्य संचालन विनियम 2009" बनाया गया है। इस विनियम में आयोग की कार्य प्रणाली विस्तृत रूप में दी गई। इसके मुख्य प्रावधान निम्नानुसार हैः–

- कोई भी व्यक्ति आयोग के समक्ष निर्धारित रीति से आवेदन/याचिका प्रस्तुत कर सकता है ।
- याचिका शुल्क लाईसेंसी या किसी कंपनी या व्यक्ति के मामले में प्रकरण की विषयवस्तु के अनुसार अलग–अलग निर्धारित हैं ।
- प्रत्येक व्यक्ति, जिसे जाँच या याचिका के बारे में सूचना–पत्र जारी किया गया है, वह अपना उत्तर समस्त प्रतिलिपियों सहित निर्धारित समय–सीमा में आयोग के सामने प्रस्तुत करेगा ताकि मामले की सही जाँच समुचित रूप से की जा सके ।
- आयोग के सामने संबंधित व्यक्ति उपस्थित हो सकेगा या कार्यवाही एवं पैरवी करने हेतु अधिकृत व्यक्ति नियुक्त कर सकेगा ।
- आयोग निर्धारित मामले की सुनवाई आवेदन के क्रमानुसार निश्चित स्थान, दिनाँक व समय निर्धारण कर अधिनियम के तहत् निपटाने की कोशिश करेगा।
- आयोग किसी भी कार्यवाही, सुनवाई या किसी मामले के दौरान कोई भी अंतरिम आदेश, जो वह उचित समझे, जारी कर सकता है ।

- विद्युत अधिनियम के अनुसार आयोग अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले विवादों का हल, विवाद के पक्षकारों में से किसी एक पक्षकार द्वारा आवेदन किये जाने पर शुरू कर सकेगा तथा प्रकरण माध्यस्थम को निर्दिष्ट कर सकेगा।
- आयोग आवश्यक जानकारी एकत्र करने के लिये जाँच, अनुसंधान, प्रवेश, खोज एवं जब्ती के लिए आदेश कर सकेगा ।
- यदि कोई अनुज्ञप्तिधारी या उत्पादन कंपनी अनुज्ञप्ति के किसी नियम, शर्त या अधिनियम के प्रावधानों का पालन नहीं करता है तो आयोग विद्युत अधिनियम की धारा 128 के तहत् उनके विरूद्ध लिखित आदेश देकर उसके काम–काज की जाँच करा सकता है ।
- इसके साथ यदि व्यक्ति निर्धारित तिथि में सुनवाई के लिए उपस्थित नहीं होता है तो आयोग ऐसे व्यक्ति की अनुपस्थिति में अपने अनुसार एक पक्षीय कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा। नियम/कानून या प्रावधानों को लागू करने में आयोग यदि कोई कठिनाई महसूस करता है तो वह सामान्य या विशेष आदेश द्वारा उस कठिनाई को दूर कर सकता है ।
- आयोग के समक्ष सभी मामलों की सुनवाई खुले रूप से होती है जहाँ कोई भी संबंधित व्यक्ति उपस्थित हो सकता है। उपर्युक्त मामलों में उपभोक्ताओं के पक्ष में प्रस्तुत करने के लिए किसी भी व्यक्ति को आयोग द्वारा प्राधिकृत किया जा सकता है।

3.3 आयोग की शक्तियाँ

विद्युत अधिनियम की धारा 94 के अनुसार आयोग को इस अधिनियम के अधीन किसी जाँच या कार्यवाही के प्रयोजनों के लिये वही शक्तियाँ प्राप्त है, जो कि सिविल प्रोसीजर कोड 1908 (5/1908) के अधीन निम्नलिखित मामलों के सम्बन्ध में सिविल न्यायालय में निहित की गई हैं ।

(i) किसी व्यक्ति की उपस्थिति हासिल करने के लिये सम्मन जारी करना और उसका शपथ पर परीक्षण करना ।

(ii) किसी (विलेख) दस्तावेज तथा साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किये जाने योग्य अन्य संदर्भित सामग्री की खोज और उसकी प्रस्तुति ।

(iii) शपथ पत्र पर साक्ष्य प्राप्त करना/ग्रहण करना ।

(iv) किसी लोक अभिलेख को तलब करना ।

(v) साक्षियों के परीक्षण के लिये निर्देश जारी करना;

(vi) अपने विनिश्चयों, निर्देशों और आदेशों का पुनर्विलोकन (reviewing) करना;

(vii) कोई अन्य मामला जो विहित किया जाये।

(2) आयोग को किसी कार्यवाही में, सुनवाई करते समय या कोई मामला जो आयोग के समक्ष हो और जैसा आयोग समुचित समझे ऐसा अन्तरिम आदेश पारित करने की शक्तियाँ है।

(3) आयोग, उपभोक्ताओं के हित का अपने समक्ष कार्यवाहियों में प्रतिनिधित्व करने के लिये किसी व्यक्ति को प्राधिकृत कर सकेगा, जैसा वह उचित समझे।

3.4 आयोग के समक्ष कार्यवाहियाँ –

विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 95 के अनुसार समस्त कार्यवाहियाँ आयोग के समक्ष भारतीय दण्ड संहिता (45/1860) की धाराओं 193 तथा 228 के आशयों के भीतर न्यायिक कार्यवाहियाँ समझी जाएगी और आयोग दण्ड प्रक्रिया संहिता (क्रीमनल प्रोसीजर कोड, 1973 (2/1974)) की धाराओं 345 तथा 346 के प्रयोजनों के लिये सिविल कोर्ट समझा जायेगा ।

—000—

खण्ड—4
राज्य सलाहकार समिति

4.1 राज्य सलाहकार समिति –

विद्युत अधिनियम की धारा 88 में राज्य सलाहकार समिति के गठन का प्रावधान है। राज्य सलाहकार समिति निम्नलिखित विषयों पर आयोग को परामर्श दे सकेगी:–

(1) मुख्य नीतिगत मुद्दों पर;

(2) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रदत्त सेवा की गुणवत्ता, निरंतरता एवं विस्तार से संबंधित विषयों पर;

(3) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उसकी अनुज्ञप्ति की शर्तो एवं अपेक्षाओं के अनुपालन पर;

(4) उपभोक्ता हित संरक्षण पर; एवं

(5) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विद्युत प्रदाय एवं कार्य निष्पादन के मानकों पर।

सलाहकार समिति का गठन आयोग की अधिसूचना दिनाँक 25.02.2005 के द्वारा किया गया था। दिनाँक 31.12.2010 की स्थिति में राज्य सलाहकार समिति में निम्नलिखित सदस्य हैं:–

1.	अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, रायपुर	अध्यक्ष	पदेन
2.	सदस्य, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, रायपुर	सदस्य	पदेन
3.	प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, रायपुर	सदस्य	पदेन
4.	सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग, रायपुर	सदस्य	पदेन
5.	प्रबंध निदेशक, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, रायपुर	सदस्य	अनुज्ञप्तिधारी के प्रतिनिधि
6.	महाप्रबंधक, दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे, बिलासपुर	सदस्य	परिवहन के प्रतिनिधि
7.	महाप्रबंधक (इलेक्ट्रिकल), भिलाई इस्पात संयंत्र, भिलाई	सदस्य	बड़े उपभोक्ताओं के प्रतिनिधि
8.	महापौर, रायपुर नगर पालिक निगम, रायपुर या उनके प्रतिनिधि	सदस्य	उपभोक्ताओं के प्रतिनिधि
9.	अध्यक्ष, कंफडेरेशन आफ इंडियन इंडस्ट्रीज, छत्तीसगढ़ चैप्टर, रायपुर	सदस्य	उद्योगों के प्रतिनिधि
10.	अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ उद्योग महासंघ, रायपुर	सदस्य	उद्योगों के प्रतिनिधि

11.	अध्यक्ष, उरला इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन, रायपुर	सदस्य	उद्योगों के प्रतिनिधि
12.	अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ लघु एवं सहायक उद्योग संघ, बिलासपुर	सदस्य	लघु उद्योगों के प्रतिनिधि
13.	अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज रायपुर	सदस्य	वाणिज्य के प्रतिनिधि
14.	श्री ललित सिंघानिया, रायपुर	सदस्य	गैरसरकारी/ अशासकीय संगठन के प्रतिनिधि
15.	श्री रामचन्द्र चेट्टी, कोरबा	सदस्य	श्रमिकों के प्रतिनिधि
16.	श्री अरूण कुमार चौबे, रायपुर	सदस्य	श्रमिकों के प्रतिनिधि
17.	श्री गौरी शंकर कौशिक, गांव–पोडी, जिला– बिलासपुर	सदस्य	कृषक प्रतिनिधि
18.	श्री एम.पी.पाण्डे, सचिव, जय प्रकाश मेमोरियल सेंटर किरन्दुल	सदस्य	अशासकीय संगठन के प्रतिनिधि
19.	श्री बीरेन्द्र कुमार सोनी, डोंगरगढ़	सदस्य	उपभोक्ताओ के प्रतिनिधि
20.	आर.पी. सिंह, रिटा. मुख्य अभियंता, छ.ग.रा.वि.मं., बिलासपुर	सदस्य	उपभोक्ताओ के प्रतिनिधि
21.	श्री गोपाल मुखर्जी, अध्यक्ष एवं संचालक राजकिशोर नगर समन्वय समिति, बिलासपुर	सदस्य	उपभोक्ताओ के प्रतिनिधि

टीप:– आयोग के सचिव, समिति के पदेन सचिव हैं।

4.2 राज्य सलाहकार समिति की बैठकें –

वर्ष 2010 में इस समिति की संपन्न बैठक में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी द्वारा देयकों के भुगतान हेतु दी जा रहीं सुविधाओं पर, स्ट्रीट लाईटों को समय पर चालू एवं बंद करने हेतु टाईमर की स्थापना करने के संबंध में, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी में अधिकारियों एवं कर्मचारियों की संख्या पर, फ्यूजकॉल सेंटरों का कार्य, मीटर रीडिंग आदि अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई एवं तत्संबंधी निर्देश भी जारी किये गये।

— 000—

खण्ड–5

वर्ष 2010 में आयोग द्वारा किये गये विभिन्न कार्यों का विवरण

5.1 आयोग द्वारा विनियमों का जारी करना –

विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 181 के अनुसार अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने तथा आयोग को अधिनियम में सौपें गये कृत्यों को पूरा करने के लिए आयोग को विभिन्न धाराओं से सुसंगत विनियम बनाने की शक्ति दी गई है। इस प्रकार विनियम का बनाना आयोग का एक प्रमुख कर्तव्य है। उपरोक्त विनियम बनने के पूर्व प्रारूप विनियमों तथा अन्य दिशा निर्देशों पर जन सामान्य तथा विशेष रूप से प्रभावित घटक–संस्थाओं, विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों, अनुज्ञप्तिधारियों, शासन, राज्य सलाहकार समिति के सदस्यों से उपरोक्तानुसार सुझाव आपत्तियाँ तथा टिप्पणियाँ प्राप्त की जाती है ।

आयोग द्वारा विनियम बनाने की प्रक्रिया अधिसूचना (नोटिफिकेशन) द्वारा की जाती है। अधिसूचना का अभिप्राय शासकीय राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना से है। धारा 181 की उपधारा (3) में यह प्रावधान है कि आयोग द्वारा बनाए गए समस्त विनियम पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन होंगे।

अतः पूर्व प्रकाशन हेतु आयोग द्वारा निम्नलिखित प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

- प्रारूप विनियम आयोग की वेबसाईट पर रखे जायेंगे तथा प्रारूप विनियमों की प्रतियाँ आयोग के कार्यालय व पुस्तकालय में कार्यालय के कार्य–अवधि में अवलोकनार्थ उपलब्ध होंगी।
- प्रारूप विनियमों के बारे में आपत्ति/सुझाव/टिप्पणियाँ आमंत्रित करने हेतु सर्वाधिक प्रसारित दो समाचार पत्रों में सूचना प्रकाशित की जायेगी तथा आयोग के सूचना पटल पर भी प्रदर्शित की जायेगी। उक्त सूचना में संक्षेप में विनियम की विषय–वस्तु समाविष्ट होगी।
- प्रारूप विनियम की एक–एक प्रतिलिपि निम्नलिखित में से प्रत्येक को भेजी जायेगी:–

  (क) राज्य शासन के ऊर्जा विभाग में

  (ख) राज्य सलाहकार समिति के प्रत्येक सदस्य को ।

  (ग) प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी को ।
- दो सप्ताह या उससे अधिक समय जैसा आयोग द्वारा समुचित माना जाये, आपत्तियाँ, सुझाव व टिप्पणियाँ प्रस्तुत करने हेतु दिया जायेगा।

- समुचित प्रकरणों में आयोग द्वारा प्राप्त आपत्तियों, सुझावों व टिप्पणियों के आधार पर प्रारूप विनियम पर जन–सुनवाई की जा सकती है।
- विनियम को अंतिम रूप जैसा कि आयोग द्वारा स्वीकृत किया जाये शासकीय राजपत्र में प्रकाशन हेतु भेजा जायेगा। प्रकाशन के उपरांत विनियम को आयोग के वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जायेगा तथा तत्संबंधी सूचना आयोग के आम सूचना–पटल पर प्रदर्शित की जायेगी तथा एक प्रेस–विज्ञप्ति भी जारी की जा सकती है।

उपरोक्तानुसार आयोग की स्थापना वर्ष 2004 में होते ही वर्ष 2004 से 2009 में निरंतर विनियम तैयार कर लागू कर दिये थे। यह प्रक्रिया वर्ष 2010 में भी अनवरत जारी रही। दिनाँक 31.12.2010 की स्थिति में जारी विनियमों की सूची निम्नानुसार है :–

(I) वर्ष 2010 के पूर्व अधिसूचित विनियम –

1. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (अनुज्ञप्ति) विनियम–2004
2. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (राज्य सलाहकार समिति) विनियम–2004
3. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (टैरिफ अवधारण के लिए उत्पादन कम्पनी और अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दिये जाने वाले विवरण एवं आवेदन देने की रीति) विनियम–2004
4. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (सुरक्षा निधि) विनियम–2005
5. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (परामर्शियों की नियुक्ति) विनियम–2005
6. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (छत्तीसगढ़ राज्य में राज्यांतरिक मुक्त उपयोग) विनियम–2005
7. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत प्रदाय संहिता 2005
8. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (टैरिफ अवधारण हेतु निबंधन व शर्ते) विनियम–2006
9. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ग्रिड संहिता 2007।
10. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील दाखिल करने की प्रक्रिया) विनियम–2005
11. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (भर्ती एवं अधिकारियों तथा कर्मचारियों की सेवा की शर्तों विनियम–2005

12. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (विद्युत वितरण कार्यान्वयन हेतु मानक) विनियम–2006

13. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (सूचना की तामीली व प्रकाशन) विनियम, 2006।

14. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत प्रदाय संहिता (प्रथम संशोधन) 2007

15. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत प्रदाय संहिता (द्वितीय संशोधन) 2007

16. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (छत्तीसगढ़ में राज्यांतरिक मुक्त उपयोग–प्रथम संशोधन) विनियम, 2007 (पुर्नरीक्षित)

17. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ग्रिड संहिता (प्रथम संशोधन), 2008।

18. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (सुरक्षा निधि–प्रथम संशोधन) विनियम, 2007

19. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायतों का निराकरण) विनियम 2007 (पुर्नरीक्षित)।

20. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (उर्जा के नवीकरणीय स्त्रोत से वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विद्युत की प्राप्ति) विनियम, 2008।

21. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (अनुज्ञप्ति) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2008।

22. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (अपारंपरिक उर्जा–स्त्रोतों पर आधारित संयंत्रों द्वारा उत्पादित विद्युत हेतु उत्पादन टैरिफ की अवधारणा हेतु निबंधन एवं शर्तें तथा संबंधित विषय–वस्तु) विनियम, 2008।

23. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (शुल्क एवं प्रभार) विनियम, 2009 (पुनरीक्षित)

24. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (कार्य संचालन) विनियम, 2009 (पुनरीक्षित)

(II) वर्ष 2010 में अधिसूचित विनियम –

1. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (बहुवर्षीय टैरिफ सिद्धांतों के अनुरूप टैरिफ निर्धारण हेतु निबन्धन एवं शर्तें) विनियम, 2010

2. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (छत्तीसगढ़ राज्य भार प्रेषण केंद्र के शुल्क एवं प्रभार तथा अन्य संबंधित विषयक) विनियम 2010

(III) आयोग द्वारा बनाये गये प्रारूप विनियम –

वर्ष 2010 में निम्नलिखित प्रारूप विनियम बनाये गये हैं, इन विनियम पर आम उपभोक्ताओं एवं सम्बन्धित पक्षों से सुझाव एवं आपत्तियां प्राप्त की गई हैं। प्राप्त सुझावों/आपत्तियों पर आयोग द्वारा विचार करने के पश्चात् इन्हे अन्तिम रूप दिया जावेगा :–

1. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायतों का निराकरण) विनियम, (पुनरीक्षण) ।
2. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (अपारंपरिक ऊर्जा खरीद दायित्व एवं अपारंपरिक ऊर्जा प्रमाण–पत्र कार्यान्वयन) विनियम ।
3. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (संयोजकता एवं राज्यांतरिक मुक्त उपयोग) विनियम ।

5.2 आयोग द्वारा जारी किये महत्वपूर्ण आदेश –

1. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा प्रदेश के विद्युत जनरेटरों से लघु अवधि विद्युत क्रय करने हेतु आयोग द्वारा दरों का निर्धारण किया गया।
2. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी एवं छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कम्पनी के लिए रू. 13571/– करोड़ के तीन वर्षीय वाणिज्यिक योजना को मंजूरी प्रदान की गई।
3. विद्युत वितरण कंपनी द्वारा बकायादारों से बकाया सरचार्ज की राशि के लिए एक बार राजीनामा करने हेतु प्रस्तुत योजना का अनुमोदन।
4. आयोग द्वारा बायोमास का उपयोग कर विद्युत उत्पादन कर रहे राज्य के विद्युत उत्पादकों के समक्ष बायोमास की दरों में अप्रत्याशित वृद्धि से उत्पन्न कठिनाइयों को दृष्टिगत रखते हुये उनके लिये पूर्व में जारी टैरिफ दरों का पुनर्विलोकन कर नई दरों का निर्धारण किया गया।
5. राज्य में सौर ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु आयोग द्वारा स्वप्रेरणा से ऐसे विद्युत उत्पादकों द्वारा उत्पादित विद्युत के राज्य के वितरण कंपनियों द्वारा क्रय करने हेतु दरों का निर्धारण करते हुए कतिपय निर्देश जारी किए थे। इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा जारी "जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन" अनुमोदित किया गया है। आयोग इस राष्ट्रीय सौर मिशन के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु, पूर्व में जारी आदेश में संशोधन कर उसे उक्त मिशन के अन्तर्गत आने वाले लघु सौर ऊर्जा संयंत्रो हेतु भी लागू किया है।

5.3 न्यायिक कार्य : याचिकाओं का निराकरण –

इस वर्ष आयोग द्वारा स्वयं संज्ञान लेकर 03 मामले पंजीबद्ध कर उसमें कार्यवाही की गई। विभिन्न पक्षकारों द्वारा 53 प्रकरण आयोग के समक्ष प्रस्तुत किये गए। इस तरह वर्ष 2010 के दौरान आयोग में कुल 56 मामले पंजीबद्ध किये गए, जिसमें से 39 प्रकरणों का निपटारा आयोग द्वारा इस वर्ष किया गया। सन् 2009 में पंजीबद्ध, परन्तु इस वर्ष के प्रारंभ में लंबित, 15 प्रकरणों में से 12 का निपटारा भी इस वर्ष किया गया। इस तरह वर्ष 2010 में कुल 51 मामलों का निराकरण किया गया। यह नीचे दी गई सारणी में दर्शित है:–

प्रकरणों का निराकरण			
01–01–2010 की स्थिति में विचाराधीन	वर्ष 2010 में पंजीकृत	वर्ष 2010 में निराकृत	01–01–2011 की स्थिति में विचाराधीन
15	56	51	20

5.4 विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम तथा विद्युत लोकपाल (अंबुडसमैन) की स्थापना –

आयोग के निर्देशानुसार राज्य विद्युत मंडल द्वारा राज्य में रायपुर, बिलासपुर तथा जगदलपुर में शिकायत निवारण फोरम (फोरम) स्थापना की गई। इसके अलावा आयोग द्वारा विद्युत अधिनियम धारा 42(6) के प्रावधान के अनुसार विद्युत लोकपाल की नियुक्ति भी की है। फोरम के आदेशों के विरूद्ध लोकपाल के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जा सकता है।

विद्युत लोकपाल (अंबुडसमैन) द्वारा वर्ष 2010 में निराकृत किये गए प्रकरणों की स्थिति निम्नानुसार है:–

प्रकरणों का निराकरण			
01–01–2010 की स्थिति में विचाराधीन	वर्ष 2010 में पंजीकृत	वर्ष 2010 में निराकृत	01–01–2011 की स्थिति में विचाराधीन
15	48	39	24

5.5 विद्युत उपभोक्ताओं हेतु बेहतर सेवा तथा जागरूकता के प्रयास –

विद्युत उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा प्रदाय करने हेतु आयोग द्वारा मानक विनियम तैयार किए गये हैं जिनमें, निर्धारित समयावधि में सेवा उपलब्ध न होने पर व सेवा में कमी पाये जाने पर उपभोक्ताओं को क्षतिपूर्ति राशि देने का प्रावधान रखा गया है।

तत्संबंध में एक पोस्टर राज्य विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा आयोग के निर्देशानुसार हिन्दी में तैयार कराया गया है जिसे मण्डल के कार्यालयों जैसे वितरण केन्द्र, उपसंभाग, संभाग, वृत्त कार्यालय एवं कम्पनी के अन्य प्रमुख कार्यालयों के मुख्य स्थानों पर लगाया गया है।

उपभोक्ताओं को अपनी समस्याओं के निराकरण पर संतुष्टि न होने की स्थिति में शिकायत निवारण फोरम में शिकायत करने हेतु जागरूकता लाने हेतु आयोग के आदेशानुसार कम्पनी द्वारा विद्युत बिल में जो कि प्रत्येक माह उपभोक्ताओं को वितरित किया जाता है, के पीछे जानकारी दी गई है। नया कनेक्शन प्राप्त करने की प्रक्रिया के बारे में भी जानकारी उपलब्ध कराने हेतु वितरण केन्द्र कार्यालयों में हिन्दी में आयोग के निर्देशानुसार डिस्प्ले बोर्ड लगा दिया गया है।

— 000 —

खण्ड–6
आयोग का वित्त एवं लेखा विवरण वर्ष 2009–10

6.1 आयोग की निधि –

विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 103 में राज्य शासन द्वारा एक निधि की स्थापना करने का प्रावधान है जिसे राज्य विद्युत नियामक आयोग निधि के नाम से जाना जाता है तथा जिसमें राज्य शासन द्वारा आयोग हेतु आबंटित अनुदान राशि, ऋण एवं आयोग द्वारा प्राप्त समस्त वैधानिक शुल्क आदि को शामिल किया जाता है।

इस निधि का उपयोग "छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (निधि) नियम, 2007 जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा अनुमोदित होकर दिनांक–18 मई 2007 को छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित हो चुका है, में निहित प्रावधानों के तहत किया जाता है।

6.2 आयोग के लेखाओं, बजट एवं लेखा संपरीक्षा नियम –

आयोग के लेखाओं का संधारण, बजट की प्रस्तुति एवं लेखा संपरीक्षा (ऑडिट) भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा अनुमोदित नियम जिनका प्रकाशन छत्तीसगढ़ राजपत्र में दिनांक 06 जुलाई 2007 को "छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (वार्षिक लेखा, संपरीक्षा एवं बजट) नियम 2007 के नाम से प्रकाशित हो चुका है के द्वारा संचालित होते है। उक्त नियम के अनुसार वित्तीय वर्ष की समाप्ति के तीन माह के अंदर आयोग द्वारा अनुमोदित वार्षिक लेखा विवरण संपरीक्षा हेतु भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य संस्था को लेखा संपरीक्षा हेतु प्रस्तुत किया जाना है। आयोग के वार्षिक लेखा विवरण को आयोग के अध्यक्ष, वित्तीय मामलों के एक सदस्य एवं सचिव द्वारा प्रमाणित किया जायेगा। उक्त नियम में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत आयोग द्वारा प्रतिवर्ष सितंबर माह के अंत तक वर्तमान वित्तीय वर्ष का पुनरीक्षित बजट अनुमान एवं आने वाले वर्ष का संभावित बजट अनुमान राज्य शासन को प्रस्तुत किया जाना है। वर्तमान में वित्तीय वर्ष 2009–10 तक के लेखाओं का लेखा परीक्षण महालेखाकार छत्तीसगढ़ रायपुर के द्वारा किया जा चुका है एवं वर्ष 2010–11 का पुनरीक्षित बजट अनुमान एवं बजट अनुमान 2011–12 शासन को प्रस्तुत किया जा चुका है।

6.3 वित्तीय वर्ष 2009–10 का संक्षिप्त लेखा विवरण –

वित्तीय वर्ष 2008–09 के संपरीक्षित वार्षिक लेखा विवरण में दिनाँक 31.03.09 को विगत वर्ष का अंतिम रोकड़ शेष तथा बैंकस्थ रोकड़ शेष रू. 7565298.90 था जिसे प्रारंभिक शेष के रूप में लेकर वित्तीय वर्ष 2009–10 की रोकड़ बही दिनाँक 01.04.2009 को प्रारंभ की गई। दिनाँक 31.03.2010 की स्थिति में अंतिम रोकड़ तथा बैंकस्थ रोकड़ रू. 18085230.09 शेष था। वर्ष 2009–10 के संपरीक्षित वार्षिक लेखे एवं महालेखाकार छ.ग. द्वारा जारी संपरीक्षा प्रमाण पत्र इस प्रतिवेदन के परिशिष्ट में हैं।

–000–

परिशिष्ट

No.CAW/S-2/CSERC/Acs/09-10/ 505

भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग
कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा), छत्तीसगढ़, रायपुर
INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT
Office of Accountant General (Audit), Chhattisgarh, Raipur.

SPEED POST
स्पीड पोस्ट

दिनांक
Date: 1-12-2010

To

The Chairman,
Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission,
Civil Lines, G.E. Road, Raipur (CG)

Sub: Comments of the Comptroller and Auditor General of India under section 619(4) of the Companies Act, 1956 on the accounts of Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission for the year 2009-10.

Sir,

I am to forward herewith Separate Audit Report on the Accounts of Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission for the year 2009-2010 under Sub Section (2) of Section 104 of Electricity Act 2003. Six copies of the printed annual accounts duly incorporating Separate Audit Report may be forwarded to this office after placing the same before the State Legislature.

This is issued with the approval of the Accountant General (Audit).

Encl: As above

Yours faithfully,

3.12.10

Deputy Accountant General
(Commercial)

पगारिया काम्पलेक्स, नया बस स्टैण्ड, पंडरी, रायपुर – 492 004 (छत्तीसगढ़)
Pagaria Complex, New Bus Stand, Pandri, Raipur - 492 004 (Chhattisgarh)

Separate Audit Report of the Comptroller & Auditor General of India on the Accounts of Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission for the year ended 31 March 2010

We have audited the attached Balance Sheet of Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission as at 31 March 2010 and the Receipts and Payments Account and Income and Expenditure Account for the year ended on that date under Section 104(2) of the Electricity Act, 2003. These financial statements include the accounts of units/branches of the Commission. These financial statements are the responsibility of the Commission's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

This Separate Audit Report contains the comments of the Comptroller & Auditor General of India (CAG) on the accounting treatment only with regard to classification, conformity with the best accounting practices, accounting standards and disclosure norms, etc. Audit observations on financial transactions with regard to compliance with the Law, Rules & Regulations (Propriety and Regularity) and efficiency-cum-performance aspects, etc., if any are reported through Inspection Reports/CAG's Audit Reports separately.

We have conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements. An audit includes examining, on a test basis, evidences supporting the amounts and disclosure in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of financial statement. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

Based on our audit, we report that:

i. We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;

ii. The Balance Sheet, Receipts and Payments Account and Income and Expenditure Account dealt with by this report have been drawn up in the format approved by the Chhattisgarh State Government under Section 104(2) of the Electricity Act, 2003.

iii. In our opinion, proper books of accounts and other relevant records have been maintained by the Commission as required under Section 104(1) of the Electricity Act, 2003 in so far as it appears from our examination of such books.

iv. **Comments on Accounts**

A. **Balance Sheet**

Fixed Assets (Schedule:A)

1. **Land- NIL**

The fact that the Commission is in possession of 2400 square metre of land at Raipur allotted by State Government free of cost on 30 November 2006 was not disclosed suitably in the accounts.

2. **WIP (New office Building Construction) ₹ 3.79 crore**

This represents new office building put to use from 01 March 2010 onwards which should have been classified under Fixed Assets. This has resulted in understatement of Fixed Assets and overstatement of Capital Work in Progress by ₹ 3.79 crore. Besides, depreciation is also understated to the extent of ₹ 0.21 lakh with corresponding overstatement of Excess of Income over Expenditure.

B. **Income and Expenditure Account**

Income

1. **Interest on investment ₹ 33.38 lakh**

This includes ₹ 18.57 lakh being interest accrued on FDRs with Dena Bank. As against this, the actual amount of interest accrued on FDRs with Dena Bank as on 31 March 2010 was ₹ 22.90 lakh. This has resulted in understatement of Excess of Income over Expenditure and Current Assets, Loans and Advances by ₹ 4.33 lakh.

2. **Commission, Fees, Penalty ₹ 2.21 crore**

This includes ₹ 28.58 lakh being Annual Licence Fees for the year 2007-08 and 2008-09. This should have been shown separately under "Prior Period Income".

v. Subject to our observations in the preceding paragraphs, we report that the Balance sheet, Receipts and Payments Account and Income and Expenditure Account dealt with by this report are in agreement with the books of accounts.

vi. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said financial statements read together with the Accounting Policies and Notes on Accounts, and subject to the significant matters stated above and other matters mentioned in Annexure – I to this Audit Report give a true and fair view in conformity with accounting principles generally accepted in India:

a. In so far as it relates to the Balance Sheet, of the state affairs of the Commission as at 31 March 2010.

b. In so far as it relates to Income and Expenditure Account, of the excess of Income over Expenditure for the year ended on that date.

For and on the behalf of the
Comptroller & Auditor General of India

Date:

Accountant General (Audit)

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, रायपुर

प्ररूप—क

(देखिये नियम 3)

प्राप्ति एवं भुगतान लेखा 31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष के लिए

(1.4.2009 से 31.3.2010)

गत वर्ष (रू.)	प्राप्तियाँ		राशि (रू.)	कुल राशि (रू.)
	1. प्रारंभिक शेष			
12099.00	(i) हस्तस्थ रोकड़		7590.00	
20949623.90	(ii) बैंक में रोकड		7557708.90	7565298.90
16000000.00	2. छत्तीसगढ़ शासन से अनुदान			16000000.00
	3. आयोग की प्राप्तियाँ			
	(i) निवेश से प्राप्तियाँ			
20000000.00	(क) निवेश का नगदीकरण		40995874.00	
2188666.00	(ख) निवेश पर ब्याज		5370532.00	
10894.00	(ii) कर्मचारियों से ऋण एवं अग्रिम की वसूली		36560.00	
	(iii) अन्य प्राप्तियाँ			
	(क) वर्तन			
18707384.00	(ख) शुल्क, जुर्माना, शास्ति एवं प्रभार		22091359.00	
735148.00	(घ) बैंक में रोकड़ पर ब्याज		599032.00	
	(ड़) कर्मचारियों के ऋण एवं अग्रिम पर ब्याज		165.00	
	(ड़) विविध प्राप्तियाँ			
-49500.00	(i) बयाना राशि			
	कुल प्राप्ति	300000.00		
	(-) वापसी	350000.00	-50000.00	
4233.00	(ii) प्रतिभूति निक्षेप (प्राप्त)		942.00	
0.00	(iii) प्रेषण प्राप्तियाँ			
	(अ) समूह बीमा योजना (अप्रेषित)			
	(ब) सामान्य भविष्य निधी			
	कुल प्राप्तियाँ	162417.00		
	(–) वापसी	162417.00	0.00	
189520.00	(स) नवीन अंशदायी पेंशन योजना		409105.00	
4000.00	(iv) निविदा प्रपत्र की बिकी		6000.00	
12275.00	(v) स्टाफ कार वसूली		10000.00	
580.00	(vi) गृह किराया वसूली		0.00	
4000.00	(vii) निविदा हेतु कार्यवाही शुल्क		30000.00	
2000.00	(viii) प्रकाशन का विक्रय		16400.00	
3790.00	(ix) अन्य विविध प्राप्तियाँ		1017.50	
	(x) विद्युत लोकपाल के खर्चों को अनुज्ञप्तिधारी से प्राप्त		1254477.00	
200.00	(xi) पुराने सामाचार पत्रों के विक्रय से प्राप्त		250.00	
7800.00	(xii) प्रशुल्क याचिका पुस्तिका का विक्रय (छ.ग.रा.वि.मं. को देय)			
	प्राप्तिया	0		
	(-) भुगतान	0	0	70771713.50
78782712.90	योग			94337012.40

गत वर्ष (रू.)	भुगतान	राशि (रू.)	कुल राशि (रू.)
	1. स्थापना व्यय		
7435073.00	(i) वेतन एवं भत्ते	10544037.00	
19315.00	(ii) मजदूरी	11765.00	
116203.00	(iii) यावसायिक एवं अन्य सेवाओं के लिए भुगतान (सुरक्षा एवं रख रखाव)	119650.00	
50091.00	(iv) अवकाश वेतन, अंशदान एवं निवृत्ति वेत	266027.00	
	(v) यात्रा व्यय		
406482.00	(अ) देशीय यात्रा	246408.00	
325650.00	(ब) विदेश यात्रा	502225.00	
0.00	(स) अवकाश यात्रा रियायत	0.00	
5500.00	(vi) मानदेय (राज्य सलाहकार समिति)	15500.00	
	(vii) अतिरिक्त समय भत्ता	0.00	
73599.00	(viii) चिकित्सा प्रतिपूर्ति	82780.00	
13500.00	(ix) अधिलाभांश	9192.00	
599317.00	(x) अन्य स्थापना व्यय (विद्युत लोकपाल कार	649828.00	
400564.00	(xi) CPS final payment	1770.00	12449182.00
	2. प्रशासनिक एवं अन्य कार्यालयीन व्यय		
243740.00	(i) सभा एवं सम्मेलन व्यय	46400.00	
224947.00	(ii) दूरभाष एवं फैक्स व्यय	183104.58	
795441.00	(iii) किराया	824809.00	
2378641.00	(iv) अन्य प्रशासनिक एवं कार्यालयीन व्यय	6129807.73	7184121.31
276430.00	3. पूंजीगत व्यय		343160.00
17700.00	4. प्रतिभूति निक्षेप (पक्षकारों को भुगतान)		36000.00
	5. कर्मचारियों को अग्रिम (यात्रा हेतु अग्रिम)		
27560.00	(i) यात्रा अग्रिम	14293.00	
6000.00	(ii) अनाज अग्रिम	9400.00	
3000.00	(iii) त्यौहार अग्रिम	5000.00	28693.00
	6. अन्य अग्रिम		
25519000.00	(i) गृह निर्माण मंडल को भुगतान ;कार्यालय भवन निर्माण हेतु कार्य प्रगति पर	10662818.00	
883787.00	(ii) छ.ग.रा.वि.मं की ओर से सामानांतर प्रक्रिया हेतु सलाहकारीता शुल्क का भुगतान	-1210787.00	9452031.00
	7. अंतिम शेष		
7418.00	(i) हस्तस्थ रोकड	3447.00	
172.00	(ii) खुदरा रोकड़	2000.00	
7547414.90	(iii) बैंक में रोकड	18079783.09	
10294.00	(iv) छ.ग.रा.वि.नि.आ., रायपुर आयकर खाता	0.00	18085230.09
0.00	8. एन्टीवायरस साटवेयर		
400000.00	9. Refund of Annual Licence fee rec		
30995874.00	10. Investment made in bank FDR		46758595.00
78782712.90	योग		94337012.40

आंतरिक वित्तीय सलाहकार — सचिव — सदस्य — अध्यक्ष

स्थानः रायपुर

दिनांक :

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, रायपुर

प्ररूप–ख

(देखिये नियम 6)

आय व्यय लेखा 31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष के लिए

(1-4-2009 से 31-3-2010)

गत वर्ष (रू.)	व्यय	राशि (रू.)	कुल राशि (रू.)	गत वर्ष (रू.)	आय	राशि (रू.)	कुल राशि (रू.)
	क. स्थापना व्यय (सारणी–ञ)			6000000	1. छत्तीसगढ़ शासन से सहायता	16000000.00	
8529488.00	1. वेतन एवं भत्ते	9700790.00			जोड़ें: प्राप्य अनुदान		
16656.00	2. मजदूरी	15292.00			योग:	16000000.00	
430800.00	(अ) अवकाश वेतन, अंशदान एवं निवृत्ति वेतन	433852.00			घटायें: पूंजीकृत राशि	10000000.00	
	(स) उपादान (उपादान हेतु प्रावधान सहित)	3544783.00			शुद्ध योग:		6000000.00
	(स) अवकाश नगदीकरण	605030.00	14299747.00	5400170.00	2. निवेश पर ब्याज		3338005.00
116521.00	3. व्यावसायिक एवं अन्य सेवाओं के लिए		145188.00		3. अग्रिम पर ब्याज		165.00
	4. यात्रा व्यय						
	(सारणी–य)			735148.00	4. बैंक में रोकड़ पर ब्याज		599032.00
325650.00	i. विदेश यात्रा	502225.00		18807384.00	5. वर्तन एवं शुल्क एवं प्रभार		22091359.00
398931.00	ii. देशीय यात्रा	241033.00			6. विविध प्राप्तिया		
	iii. अवकाश यात्रा रियायत	0.00	743258.00	200.00	(क) पुराने समाचार पत्र का विक्रय	250.00	
5500.00	5. मानदेय (राज्य सलाहकार समिति)		15500.00	4000.00	(ख) निविदा प्रपत्र की बिकी	6000.00	
	6. ओवर टाईम भत्ता		0.00	12275.00	(ग) स्टॉफ कार वसूली	10000.00	
73599.00	7. चिकित्सा प्रतिपूर्ति		82780.00	4000.00	(घ) प्रक्रिया शुल्क	30000.00	
13500.00	8. अधिलाभांश		9192.00	2000.00	(ङ) प्रकाशन का विक्रय	16400.00	
	9. अन्य स्थापना व्यय			580.00	(च) गृह किराया वसूली	0.00	
	ख. प्रशासनिक एवं अन्य कार्यालयीन व्यय			3790	(छ) अन्य विविध प्राप्तियाँ	1017.50	63667.50
227740.00	(i) सभा एवं सम्मेलन व्यय	46400.00					
220410.00	(ii) दूरभाष एवं फैक्स व्यय	183359.58					
785520.00	(iii) किराया	770520.00					
2692557.00	(iv) अन्य प्रशासनिक एवं कार्यालयीन व्यय	5954484.73					
14372.00	(v) एन्टिवायरस साटवेयर के लागत में कमी	13459.00	6968223.31				
240918.00	ग. अक्षयण		259056.00				
16877385.00	ङ. आय का व्यय पर आधिक्य		9569284.19				
30969547.00	योग		32092228.50	30969547.00	योग		32092228.50

आंतरिक वित्तीय सलाहकार | सचिव | सदस्य | अध्यक्ष

स्थानरू रायपुर

दिनांक :

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, रायपुर

(सारणी—ञ)
(देखिये नियम 5)
स्थापना व्यय 31 मार्च 2010
(1-4-2009 से 31-3-2010)

क्रमांक	व्यय का विवरण	अध्यक्ष एवं सदस्य	अधिकारी	कर्मचारी	कुल राशि (रू.)
		(I)	(II)	(III)	(IV)
(I)	वेतन एवं भत्ते	2253093.00	3573307.00	3874390.00	9700790.00
(II)	मजदूरी	0.00	0.00	15292.00	15292.00
(III)	व्यावसायिक एवं अन्य सेवाओं के लिए भुगतान	0.00	0.00	0.00	0.00
(IV)	अवकाश वेतन एवं निवृत्ति वेतन अंशदान	24747.00	152781.00	256324.00	433852.00
(V)	उपादान (उपादान हेतु प्रावधान सहित)		1316722.00	2228061.00	3544783.00
(VI)	अवकाश नगदीकरण हेतु प्रावधान		261462.00	343568.00	605030.00
		2277840.00	5304272.00	6717635.00	14299747.00

आंतरिक वित्तीय सलाहकार   सचिव

(सारणी—य)
(देखिये नियम 5)
यात्रा व्यय 31 मार्च 2010
(1-4-2009 से 31-3-2010)

क्रमांक	व्यय का विवरण	अध्यक्ष एवं सदस्य	अधिकारी	कर्मचारी	कुल राशि (रू.)
		(I)	(II)	(III)	(IV)
(I)	देशीय यात्रा	164552.00	75727.00	754.00	241033.00
(II)	विदेश यात्रा	502225.00	0.00	0.00	502225.00
(III)	अवकाश यात्रा रियायत	0.00	0.00	0.00	0.00
		666777.00	75727.00	754.00	743258.00

आंतरिक वित्तीय सलाहकार   सचिव

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, रायपुर

प्रशासनिक एवं अन्य कार्यालयीन व्यय

दिनाँक 31.3.2010 को समाप्त वर्ष के लिए

(1-4-2009 से 31-3-2010)

क्र.	विवरण	चालू वर्ष के व्यय (देखिये आय एवं व्यय खाता) रु.	अदत्त		चालू वर्ष में भुगतान (देखिये प्राप्ति एवं भुगतान खाता)
			गत वर्ष के अदत्त व्यय चालू वर्ष में हस्तांतरित 01.04.2009	चालू वर्ष के अदत्त व्यय आगामी वर्ष में हस्तांतरित 31.03.2010	
1	2	3	4	5	6
1	विज्ञापन एवं प्रचार	399325.00	155819.00	79418.00	475726.00
2	अंकेक्षण शुल्क महालेखाकार देय	0.00	40000.00	24310.00	15690.00
3	अंकेक्षण शुल्क देय	0.00	20000.00	0.00	20000.00
4	बैंक शुल्क	6823.00			6823.00
5	पुस्तक एवं नियत कालिक पत्रिका	14470.00	0.00	0.00	14470.00
6	संगणक लेखन सामग्री एवं उपभुक्त	42989.00	0.00	0.00	42989.00
7	Consultancy Fee	2060000.00	0.00	0.00	2060000.00
8	विद्युत एवं पानी खर्च	153413.00	16801.00	19490.00	150724.00
9	अधिवक्ता शुल्क	1533000.00	0.00	0.00	1533000.00
10	साज सज्जा एवं कार्यालय उपकरण	18099.00	0.00	0.00	18099.00
11	भाड़ा (आटो रिक्शा)	107980.00	6661.00	7753.00	106888.00
12	भाड़ा (कार)	279007.00	26460.00	11453.00	294014.00
13	अतिथि सत्कार व्यय	47785.00	1425.00	0.00	49210.00
14	आयकर (देय)		184947.00	1519.00	183428.00
15	अंशदान पेंशन योजना (CPS) पर ब्याज	106841.00	67572.00	174413.00	0.00
16	अवकाश नगदीकरण			0.00	0.00
17	पोशाक / गणवेश व्यय	24813.73	0.00	0.00	24813.73
18	यात्रा के दौरान स्थानिय परिवहन भत्ता	44320.00	8369.00	2370.00	50319.00
19	मरम्मत एवं रखरखाव यंत्र, उपकरण एवं कम्प्यूटर	108137.00	0.00	1000.00	107137.00
20	सदस्यता शुल्क व्यय (FOR)	200000.00	0.00	0.00	200000.00
21	सदस्यता शुल्क व्यय (FOIR)	50000.00	0.00	0.00	50000.00
22	सदस्यता शुल्क व्यय (SAFIR)	150000.00	0.00	0.00	150000.00
23	विविध कार्यालय व्यय	141811.00	2800.00	11550.00	133061.00
24	समाचार पत्र एवं पत्रिका व्यय	17126.00	2072.00	1382.00	17816.00
25	पेट्रोल तेल चिकनाई	144363.00	0.00	0.00	144363.00
26	डाक एवं तार व्यय	28269.00	0.00	0.00	28269.00
27	छपाई, लेखन सामग्री एवं फार्म	171555.00	0.00	19992.00	151563.00
28	प्रकाशन व्यय	2237.00	0.00	0.00	2237.00
29	चाय / काफी प्रीमिक्स व्यय	27068.00	0.00	2108.00	24960.00
30	शुल्क एवं भत्ते (राज्य सलाहकार समिति बैठक)	10050.00	0.00	0.00	10050.00
31	मरम्मत एवं रखरखाव मोटर गाड़ी (अध्यक्ष एवं सदस्य)	65003.00	-4559.00	-3714.00	64158.00
	योग	**5954484.73**	**528367.00**	**353044.00**	**6129807.73**

आंतरिक वित्तीय सलाहकार

सचिव

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, रायपुर

प्ररूप—ग

(देखिये नियम 3)

तुलन पत्र 31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष के लिए

(1-4-2009 से 31-3-2010)

गत वर्ष (रू.)	दायित्व	राशि (रू.)	कुल राशि (रू.)	गत वर्ष (रू.)	आस्तियाँ	राशि (रू.)	कुल राशि (रू.)
81182480.90	पूंजी निधी (सारणी–1)			3087950.00	स्थायी आस्तिया: (सारणी–क)		
	प्रारंभिक शेष	81182480.90			सकल योग	4486955.00	
					घटाईये: अवक्षयण		
	जोड़ें: वर्ष के दौरान वृद्धि					1289360.00	
	आय का व्यय पर आधिक्य	9569284.19			शुद्ध योग		3197595.00
	छत्तीसगढ़ शासन से सहायता अनुदान (अधोसंरचना)	10000000.00	100751765.09	27275000.00	क्रियमाण कार्य (नये कार्यालय भवन का निर्माण)		37937818.00
				44886929.00	निवेश (सारणी–ख)		48617123.00
				541974.00	आकस्मिक एवं अन्य ऋण एवं अग्रिम (सारणी–ग)		-33048.00
	ऋण:			4320.00	निक्षेप (सारणी–घ)		4320.00
	चालू दायित्व एवं प्रावधान:			0.00	भविष्य निधि (सारणी–ड़)		0.00
				1280985.00	विविध देनदार (सारणी–च)		106660.00
					अनुदान प्राप्य (सारणी–छ)		0.00
0.00	प्रेषण (सारणी–2)		0.00		अंतिम शेष:		
				7590.00	हस्तस्थ रोकड (सारणी–ज)		5447.00
815440.00	भविष्य निधि (सारणी–3)		1738721.00	7557708.90	बैंक में रोकड (सारणी–झ)		18079783.09
2649095.00	विविध लेनदार एवं अन्य दायित्व (सारणी–4)		1884343.00				
0.00	उपादान हेतु प्रावधान (समस्त कर्मचारियों के (सारणी–5)		3544783.00		लेखाओं पर टिप्पणीयाँ (सारणी–र)		
				4559.00	वाहन बीमा (पूर्वदत्त)		3914.00
84647015.90	योग		107919612.09	84647015.90	योग		107919612.09

आंतरिक वित्तीय सलाहकार | सचिव | सदस्य | अध्यक्ष

स्थानरू रायपुर

दिनांक :

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, रायपुर

सारणी–3

(देखिये फार्म IV)

भविष्य निधि 31 मार्च 2010

(1-4-2009 से 31-3-2010)

क्रमांक	विवरण	राशि (रू.)	राशि (रू.)
क.	राज्य विद्युत नियामक आयोग भविष्य निधि		
1	प्रारंभिक शेष	निरंक	
2	अभिदान	निरंक	
3	अग्रिम की वसूली	निरंक	
4	ब्याज	निरंक	
	योग		निरंक
	घटायें: अग्रिम/अंतिम देय/निवेश		
	शेष:		
ख.	निवृत्ति वेतन एवं अन्य सेवानिवृत्त लाभ कोष		
1	प्रारंभिक शेष		
2	नया अंशदान निवृत्ति वेतन कोष	815440.00	
	(i) कर्मचारी अंशदान	409105.00	
	(ii) नियोक्ता अंशदान	409105.00	
3	सेवानिवृत्त लाभ कोष	निरंक	
4	ब्याज	106841.00	1740491.00
	घटायें: कुल भुगतान		1770.00
	योग		1738721.00

आंतरिक वित्तीय सलाहकार　　　　　　　　　　सचिव

सारणी–1

(देखिये फार्म IV)

पूंजी निधी 31 मार्च 2010

(1-4-2009 से 31-3-2010)

क्रमांक	विवरण	प्रारंभिक शेष	जोड़िये	योग	अपलिखित राशि	अंतिम शेष
1	2	3	4	5	6	7
(I)	भूमि	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00
(ii)	क्रियमाण कार्य (नये कार्यालय भवन का निर्माण)	27275000.00	10662818.00	37937818.00	0.00	37937818.00
(iii)	उपस्कर एवं जुड़नार	792680.00	0.00	792680.00	63981.00	728699.00
(iv)	यंत्र एवं उपकरण	1496760.00	343160.00	1839920.00	127868.00	1712052.00
(v)	एन्टिवायरस साफ्टवेयर 3 वर्ष हेतु	14433.00	39000.00	53433.00	13459.00	39974.00
(vi)	मोटर गाड़ी	784077.00	0.00	784077.00	67207.00	716870.00
(vii)	पुस्तक एवं प्रकाशन	0.00	14470.00	14470.00	14470.00	0.00
(viii)	उपहार / दान सम्पत्तियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(ix)	अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(x)	निवल चालू आस्तियाँ	50819530.90	8796821.19	59616352.09	0.00	59616352.09
		81182480.90	19856269.19	101038750.09	286985.00	100751765.09

आंतरिक वित्तीय सलाहकार सचिव

सारणी–2

(देखिये फार्म IV)

प्रेषण 31 मार्च 2010

(1-4-2009 से 31-3-2010)

क्रमांक	विवरण	प्रारंभिक शेष	जोड़िये	योग	अपलिखित राशि	अंतिम शेष
1	2	3	4	5	6	7
(I)	सामान्य भविष्य निधि कोष एवं अन्य कार्यालय कोष (समुह बीमा योजना + सामान्य भविष्य निधि)	0.0	162417.0	162417.0	162417.0	0.00
(ii)	अनुज्ञप्ति शुल्क	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(iii)	आयकर	0.00	1420936.00	1420936.00	1420936.00	0.00
(iv)	विक्रय कर / सत्कार कर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(v)	ऋण एवं अग्रिम की वसूली	0.00	95102.00	95102.00	95102.00	0.00
(vi)	गृह किराया वसूली	0.00	2320.00	2320.00	2320.00	0.00
(vii)	अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	0.00	24768.50	24768.50	24768.50	0.00
		0.00	1705543.50	1705543.50	1705543.50	0.00

आंतरिक वित्तीय सलाहकार सचिव

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, रायपुर

सारणी–4

(देखिये फार्म IV)

विविध लेनदार एवं अन्य दायित्व 31 मार्च 2010

(1-4-2009 से 31-3-2010)

क्रमांक	विवरण	प्रारंभिक शेष	जोड़िये	प्रेषित राशि	पुनः भुगतान	अंतिम शेष
1	2	3	4	5	6	7
1	प्रतिभूति निक्षेप	7581.00	942.00		0.00	8523.00
2	बयाना राशि जमा	200500.00	300000.00		350000.00	150500.00
3	विविध लेनदार	0.00			0.00	
4	अन्य दायित्व (विनिर्दिष्ट करें)					
i	विज्ञापन एवं प्रचार (देय)	155819.00	79418.00	155819.00		79418.00
ii	एन्टिवायरस साफ्टवेयर लागत (देय)	0.00	39000.00		0.00	39000.00
iii	अंकेक्षण शुल्क महालेखाकार (देय)	40000.00		15690.00		24310.00
iv	अंकेक्षण शुल्क (देय)	20000.00		20000.00		
v	विद्युत लोकपाल व्यय (देय)	27097.00	64591.00		27097.00	64591.00
vi	विद्युत एवं पानी व्यय (देय)	16801.00	19490.00	16801.00		19490.00
vii	भाड़ा (आटो रिक्शा) देय	6661.00	7753.00	6661.00		7753.00
viii	भाड़ा (कार) देय	26460.00	11453.00	26460.00		11453.00
ix	अतिथि व्यय (देय)	1425.00	0.00	1425.00		
x	आयकर (देय)	184947.00	1519.00	184947.00		1519.00
xi	यात्रा के दौरान स्थानिय परिवहन भत्ता (देय)	8369.00	2370.00	8369.00		2370.00
xii	अवकाश नगदीकरण (देय)	241280.00	605030.00	241280.00		605030.00
xiii	मरम्मत एवं रखरखाव यंत्र, उपकरण (देय)	0.00	1000.00	0.00		1000.00
xiv	अन्य कार्यालय व्यय (देय)	2800.00	11550.00	2800.00		11550.00
xv	अखबार/पत्र व्यय (देय)	2072.00	1382.00	2072.00		1382.00
xvi	कार्यालय भवन किराया (देय)	54289.00	0.00	54289.00		
xvii	छपाई, लेखन सामग्री एवं फार्म (देय)	0.00	19992.00	0.00		19992.00
xviii	वेतन एवं भत्ते (देय)	1609572.00	766325.00	1609572.00		766325.00
xviv	सुरक्षा एवं भवन रक्षण मजदूरी (देय)	9723.00	35261.00	9723.00		35261.00
xvv	प्रशुल्क याचिका पुस्तिका का विक्रय (छ.ग.रा. वि.मं. को देय)	13500.00	13500.00	13500.00		13500.00
xvvi	चाय/काफी प्रीमिक्स व्यय (देय)	0.00	2570.00	0.00		2570.00
xvvii	दूरभाष एवं फैक्स व्यय (देय)	14248.00	14503.00	14248.00		14503.00
xvviii	यात्रा भत्ता (देय)	5951.00	576.00	5951.00		576.00
xvix	मरम्मत एवं रखरखाव मोटर गाड़ी (देय)	0.00	200.00	0.00		200.00
xvx	मजदूरी (देय)	0.00	3527.00	0.00		3527.00
5	व्यय न हुई अनुदान राशि शासन को प्रतिदेय					
	योग	2649095.00	2001952.00	2389607.00	377097.00	1884343.00

आंतरिक वित्तीय सलाहकार

सचिव

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, रायपुर

सारणी–5

(देखिये फार्म IV)

उपादान हेतु प्रावधान 31 मार्च 2010

(1-4-2009 से 31-3-2010)

क्रमांक	विवरण	राशि (रू.)	राशि (रू.)
1	प्रारंभिक शेष	0.00	
2	चालु वर्ष में प्रावधान	3544783.00	
	योग:	3544783.00	
	घटायें: चालु वर्ष में भुगतान		
1		0.00	
2		0.00	
3		0.00	3544783.00
	शुद्ध शेष		3544783.00

देखिये सारणी – 5 अ

आंतरिक वित्तीय सलाहकार सचिव

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, रायपुर

सारणी—क

(देखिये फार्म IV)

स्थायी आस्तियाँ 31 मार्च 2010

(1-4-2009 से 31-3-2010)

क्र.	आस्तियों का विवरण	सकल ब्लाक				अक्षयण की दर	अक्षयण			निवल आस्तियाँ वर्ष के अंत में	
		प्रारम्भिक	जेड़िये	Disposals	योग		प्रारम्भिक शेष	वर्ष के दौरान वृद्वि	अंतिम शेष	गत वर्ष तक	चालू वर्ष तक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	भूमि	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	भवन	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	उपस्कर एवं जुड़नार	1062854.00	0.00	0.00	1062854.00	0.06	270174.00	63981.00	334155.00	792680.00	728699.00
4	यंत्र एवं उपकरण	1878711.00	343160.00	0.00	2221871.00	0.06	381951.00	127868.00	509819.00	1496760.00	1712052.00
5	मोटर गाड़ी	1120112.00	0.00	0.00	1120112.00	0.06	336035.00	67207.00	403242.00	784077.00	716870.00
6	पुस्तक एवं प्रकाशन *	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	उपहार/दान सम्पत्तियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	अन्य सम्पत्तियां (विनिर्दिष्ट करें)	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	सकल योग (1) से (8)	4061677.00	343160.00	0.00	4404837.00		988160.00	259056.00	1247216.00	3073517.00	3157621.00
10	एन्टिवायरस साफ्टवेयर	43118.00	39000.00		82118.00		28685.00	13459.00	42144.00	14433.00	39974.00
11	पूंजी क्रियमाण कार्य	27275000.00	10662818.00		37937818.00		0.00	0.00	0.00	27275000.00	37937818.00
12	महा योग (9+10)	4104795.00	382160.00	0.00	4486955.00		1016845.00	272515.00	1289360.00	3087950.00	3197595.00
13	गत वर्ष	3827435.00	277360.00		4104795.00		761555.00	255290.00	1016845.00	3065880.00	3087950.00

*	पुस्तक एवं प्रकाशन	38462.00	14470.00	0.00	52932.00		38462.00	14470.00	52932.00	0.00	0.00

आंतरिक वित्तीय सलाहकार

सचिव

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, रायपुर

सारणी–ख

(देखिये फार्म IV)

निवेश 31 मार्च 2010

(1-4-2009 से 31-3-2010)

क्रमांक	विवरण									राशि (रू.)	राशि (रू.)
1	बैंक में स्थायी जमा										
i.	प्रारंभिक शेष									40995874.00	
ii.	किया गया निवेश									46758595.00	
iii.	निवेश का नगदीकरण									40995874.00	
iv.	अंतिम शेष										46758595.00
									योग	46758595.00	46758595.00
2	राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमाण पत्र पर निवेशजन्य प्रतिभूति										
(अ)	प्रारंभिक शेष										
(ब)	किया गया निवेश										
(स)	निवेश का नगदीकरण										
(द)	अंतिम शेष										
									योग		
3	बैंकों में निवेशित राशि का विवरण										
i.	राशि का विवरण:	9000000.00	3500000.00	9000000.00	3052630.00	9000000.00	2129950.00	2076015.00	9000000.00		
ii.	जमा की तारीख:	08.07.09	08.07.09	23.06.09	23.06.09	22.08.09	22.08.09	22.08.09	22.08.09		
	जमा की समयावधि:										
iii.		1 वर्ष	13 माह	25 माह	25 माह	2 वर्ष	2 वर्ष	2 वर्ष	2 वर्ष		
iv.	देय तिथी:	07.07.10	07.08.10	22.07.11	22.07.11	21.08.11	21.08.11	21.08.11	21.08.11		
v.	ब्याज दर:	7.25%	7.25%	7.00%	7.00%	7.00%	7.00%	7.00%	7.00%		
vi.	ब्याज:	168865.00	65670.00	496873.00	168530.00	389643.00	92213.00	89356.00	387378.00	1858528.00	1858528.00
									योग	1858528.00	1858528.00
									कुल योग (1+2+3)	48617123.00	48617123.00

आंतरिक वित्तीय सलाहकार | सचिव

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, रायपुर

सारणी -र

(देखिये नियम 3)

दिनाँक 31.3.2010 को समाप्त हुए वर्ष के लेखाओं पर टिप्पणी

(1.4.2009 से 31.3.2010)

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ / लेखाओं पर टिप्पणिया

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ / लेखाओं पर टिप्पणियाँ–वार्षिक लेखा विवरण के साथ संलग्न किया जाये।

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ :–

1. प्रारंभिक शेष को दिनांक 31 मार्च 2009 के तुलन पत्र के आधार पर लिया गया है जो आयोग द्वारा प्रमाणित है।
2. आयोग के लेखाओं को लेखांकन की उदित लेखांकन विधि से तथा एतिहासिक लागत मान्यता के आधार पर तैयार किया गया है।
3. आयोग के लेखाओं का लेखांकन वाणिज्यिक लेखांकन पद्धति के आधार पर किया गया है।
4. स्थायी आस्तियों के मूल्य अधिग्रहण में से ह्रास को कम करके दिखाया गया है।
5. स्थायी आस्तियों पर मूल्यह्रास सीधी रेखा मूल्यह्रास विधि से परिकलित किया गया है।

क्र.	आस्ति का नाम	लागत का प्रतिशत जो उपयोगी आयु में मूल्यह्रास हेतु लिया गया है।	अनुमानित उपयोगी आयु (वर्ष में) वार्षिक दर	मूल्यह्रास की
1.	भवन	90%	60	90÷60= 1.5%
2.	उपस्कर एवं जुड़नार	90%	15	90÷15=6.0%
3.	यंत्र एवं उपकरण	90%	15	90÷15=6.0%
4.	मोटर गाड़ी	90%	15	90÷15=6.0%

6. वित्तीय वर्ष के दौरान 30 सितम्बर के पश्चात क्रय की गई आस्तियों पर मूल्यह्रास,उपरोक्त दरों की आधी दर से परिकलित किया गया है।
7. पुस्तकों एवं प्रकाशनों के क्रय को वर्ष में ही राजस्व व्यय के रूप में लिया गया है।
8. क्वीक हील एन्टी वायरस साफ्टवेयर की मियाद उसके स्थापित करने से 3 वर्ष तक की होती है। अतः वर्ष के दौरान उपयोग किये गये दिनों के अनुपात में उसका अपलेखन किया गया है।

<u>लेखाओं पर टिप्पणी :–</u>

1. आयोग की आय एवं सम्पत्ति संविधान के अनुच्छेद 289 के द्वारा संघीय करारोपण से विमुक्त रखा गया है।
2. मृत्यु सह–सेवानिवृत्ति उपादान राशि का प्रावधान वार्षिक लेखा वर्ष 2009–10 में किया गया है।
3. कर्मचारियों के अवकाश लेखा में उपलब्ध अर्जित अवकाश के समर्पण एवं नगदीकरण का भुगतान म त्यु अथवा सेवानिवृत्ति पर देय है अतः उनके वर्तमान वेतन के आधार पर है जो रू.176617 एवं रू.605030 होता है। उपरोक्त दोनो भुगतान उत्तरदायित्व में से अधिकतम को तुलन पत्र तिथि को अधिकतम आकस्मिक उत्तरदायित्व माना गया है एवं आकस्मिक प्रव त्ति होने के कारण उनका प्रावधान आयोग के लेखा में नहीं किया गया है।
4. आयोग ने नवीन अंशदायी पेंशन योजना अपनाया है। अतः इस योजना के अन्तर्गत कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति पर पेंशन भुगतान का कोई उत्तरदायित्व नहीं बनता है।
5. वर्ष 2009–10 हेतु राज्य शासन से रू.1.00 करोड़ अधोसंरचना अनुदान के रूप में प्राप्त हुआ है जिसका उपयोग आयोग के नवनिर्माणाधीन भवन हेतु किया जा रहा है उसका लेखांकन मानक लेखांकन 12 के अनुसार पूंजी लेखा को किया गया है। भवन निर्माण कार्य पूर्ण होने पर इस राशि का लेखांकन मानक लेखांकन 12 के अनुसार पुनः किया जायेगा।
6. बैंक सावधि जमा पर ब्याज की राशि को संभूति प्रमाण पत्र के आधार पर लेखा किया गया है।

आंतरिक वित्तीय सलाहकार | सचिव